

No. K-14011/13/2014-MRTS-II  
Government of India  
Ministry of Urban Development  
(MRTS-II Cell)

Nirman Bhawan, New Delhi - 110108  
Dated 31<sup>st</sup> October, 2014

To

1. Chief Secretary,  
Government of Maharashtra,  
Mantralaya, Mumbai-400 032
2. Pr. Secretary,  
Urban Development Department  
Government of Maharashtra,  
Mantralaya, Mumbai-400 032

Sir,

Please find enclosed 1 copy each of the Gazette Notification No. S.O. 2444 (E) dated 18.09.2014 and Gazette Notification No. S.O. 2731(E) dated 21.10.2014 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Section 3 (Sub-Section-ii) regarding extension of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 and the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 to the Nagpur Metropolitan Area in respect of Nagpur Metro Rail Project and metro alignment of Nagpur Metro Rail Project in respect of the metropolitan are of Nagapur respectively for further necessary action at your end in the matter.

Encl: As above

Yours faithfully,



( B.K. Pati)

Under Secretary Government of India  
Tele Fax No. 23061294

Copy to:

1. MoUD (NIC) for uploading of the above cited Gazette Notification in the MoUD website (Urban Transport heading).
2. Director (MRTS-II)





# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1922]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 19, 2014/भाद्र 28, 1936

No. 1922]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 19, 2014/BHADRA 28, 1936

शहरी विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 2014

का.आ. 2444(अ).— मेट्रो रेल (कार्यों का संनिर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 1 की उप-धारा (3) और मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार से परामर्श करने के बाद, एतद्वारा यह घोषित करती है कि उक्त अधिनियमों अर्थात् मेट्रो रेल (कार्यों का संनिर्माण) अधिनियम, 1978 और मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की प्रावधानों को क्रमशः इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर तथा नागपुर महानगर क्षेत्र तक विस्तार किया जाए।

[फा.सं. के-14011/13/2014-मेट्रो/एमआरटीएस-II]

बि. के. पति, अवर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2014

S.O. 2444(E).— In exercise of the powers respectively conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 (33 of 1978) and sub-section (2) of Section 1 of the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government, after consultation with the Government of Maharashtra, hereby declare that the provisions of said Acts, namely, the Metro Railway (Construction of Works) Act, 1978 and the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 shall respectively extend to the Nagpur City and metropolitan area of Nagpur in the State of Maharashtra with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. K-14011/13/2014-Metro/MRTS-II]

B. K. PATI, Under Secy.





# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2181]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 21, 2014/आश्विन 29, 1936

No. 2181]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 21, 2014/ASVINA 29, 1936

शहरी विकास मंत्रालय

(एमआरटीएस-II)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2014

का.आ. 2731(अ).—जबकि मेट्रो रेल (संकर्मों का संनिर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय की दिनांक 19 सितम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. का.आ. 2444(अ) के तहत नागपुर महानगर क्षेत्र के लिए मेट्रो रेल (संकर्मों का संनिर्माण) अधिनियम, 1978 (इसके पश्चात् इसे उक्त अधिनियम कहा जाएगा) लागू किया है।

2. अतः अब केन्द्र सरकार एतद्वारा मेट्रो रेल (संकर्मों का संनिर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 32 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की अनुसूची में नागपुर महानगर क्षेत्र के सम्बंध में नागपुर मेट्रो रेल परियोजना के निम्नलिखित मेट्रो एलाइनमेंट को जोड़ती है, नामतः :—

“नागपुर महानगर क्षेत्र

एलाइनमेंट-1 : नागपुर मेट्रो, उत्तर दक्षिण कॉरिडोर (19.658 कि.मी., 17 स्टेशन)	: ऑटोमोटिव स्क्वेयर-नारी रोड- इन्दौरा चौक -कदवि चौक-गड्डी गोदाम स्क्वेयर- कस्तुरचन्द्र पार्क-जीरो माईल- सीताबुर्दि - कांग्रेस नगर-राहते कॉलोनी-अजनि स्क्वेयर- छत्रपति स्क्वेयर-जयप्रकाश नगर- उज्जवल नगर- एयरपोर्ट- न्यू एयरपोर्ट-खपरी
डिपो	: खपरी (पर्सोदी)
एलाइनमेंट-2 नागपुर मेट्रो पूर्व पश्चिम कॉरिडोर (18.557 कि.मी., 19 स्टेशन)	: प्रजापति नगर-वैष्णोदेवी चौक-अम्बेडकर चौक- टेलीफोन एक्सचेंज-छित्तर ओलि चौक- अग्रसेन चौक-दोसर वैश्य चौक-नागपुर रेलवे स्टेशन-सीताबुर्दि-झांसी रानी स्क्वेयर-इंजीनियरी संस्थान-शंकर नगर स्क्वेयर-लाड चौक-धर्मपेठ महाविद्यालय- सुभाष नगर- रचना (रिंग रोड जंक्शन)-वासुदेव नगर- बन्सी नगर- लोकमान्य नगर







